भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4564
(28 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण और रोजगार

4564. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान कर रही है;
(ख) यदि हां, तो डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या कितनी है और उनमें से विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र और ओडिशा में विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है;
(ग) क्या यह सच है कि अभी तक केवल एक तिहाई उम्मीदवारों को ही रोजगार दिया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत इतनी कम प्रतिक्रिया मिलने के क्या कारण हैं;
(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत उम्मीदवारों के ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी, हां। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) को वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख): विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों (महाराष्ट्र और ओडिशा सहित) में डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित और नियोजित अभ्य र्थियों की संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग): जी नहीं, यह सच नहीं है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

(ङ): डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। इस कार्यक्रम के तहत उम्मीदवारों को अधिकांशत : शहरी क्षेत्रों में स्थित उद्योग इकाइयों में नियोजित किया जाता है।

(च): प्रश्न नहीं उठता।

*****

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 28.03.2022 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4564 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (फरवरी 2023 तक) के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षित और नियोजित उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या:

क्र. सं.	राज्य	वि.व. 19-20		वि.व. 20-21		वि.व. 21-22		वि.व. 22-23 फरवरी, 23 तक 10.03.22 (केबी) की स्थिति के अनुसार	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	15933	10795	4156	2177	1606	2135	14376	3609
2	अरुणाचल प्रदेश	84	0	28	33	233	71	609	196
3	असम	11993	13862	1966	3296	3553	916	10097	3605
4	बिहार	14301	5916	2687	2745	7099	2491	10319	5138
5	छत्तीसगढ़	9798	3842	1109	3683	6499	2883	8105	5200
6	गुजरात	3084	2249	240	875	830	599	1984	488
7	हरियाणा	1948	6013	26	1213	1772	680	4946	1722
8	हिमाचल प्रदेश	1980	1073	0	117	334	10	3756	1764
9	जम्मू और कश्मीर	10516	1319	3454	1945	2300	1102	4217	1315
10	झारखंड	12866	8224	1050	1879	4035	1354	8363	4424
11	कर्नाटक	5797	7226	769	1649	1442	673	2853	1499
12	केरल	12812	8390	3053	2931	3219	1097	7250	3329
13	मध्य प्रदेश	10433	7348	903	969	6825	3977	13773	8721
14	महाराष्ट्र	**13521**	**12765**	**874**	**3319**	**348**	**1612**	**3848**	**898**
15	मणिपुर	1780	573	338	387	811	139	1867	395
16	मेघालय	1518	686	83	158	456	241	2034	906
17	मिजोरम	554	359	37	88	105	94	193	163
18	नागालैंड	1220	403	221	278	1009	614	2141	1214
19	ओडिशा	**43278**	**30607**	**7978**	**7729**	**10474**	**4828**	**15114**	**8857**
20	पंजाब	2002	1311	2922	1931	6976	4188	7040	6685
21	राजस्थान	14530	4692	981	1759	3096	3130	4840	2824
22	सिक्किम	462	32	0	43	90	0	748	152
23	तमिलनाडु	9685	3324	213	1286	8228	2941	12873	6535
24	तेलंगाना	9731	6839	2752	1436	3177	2494	1762	269
25	त्रिपुरा	1407	524	21	609	1049	193	1926	741
26	उत्तर प्रदेश	24895	7341	1540	4068	16898	3765	31118	10374
27	उत्तराखंड	1518	672	367	416	3645	917	7141	3275
28	पश्चिम बंगाल	9531	3829	521	2544	732	2424	7280	2364
29	पुदुचेरी*					165	44	536	202
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह*					0	0	88	30
	कुल	**247177**	**150214**	**38289**	**49563**	**97006**	**45612**	**191197**	**86894**

स्रोत: डीडीयू-जीकेवाई एमआईएस (kaushalpragati.nic.in और kaushalbharat.gov.in)

* यह कार्यक्रम 2020-21 में पुदुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में शुरू हुआ था।

*****